

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
आदेश
रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 01-03/स्था./31/2014 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित कार्यपालन अभियंताओं (वि./यां) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अधीक्षण अभियंता (वि./यां) के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 15,600-39,100/- घेड वेतन रूपये 7,600/- में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के सम्बुद्ध दर्शाये गये स्थान पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदरथ करता है:-

सं. क्र.	अधिकारी का नाम पद एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नत उपरांत जहां पदस्थ किया जाता है, पद एवं पदस्थापना स्थान।
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस.आर.सिरसाज, कार्यपालन अभियंता (वि./यां) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	अधीक्षण अभियंता (वि./यां) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छ.ग.रायपुर
2.	श्री एन.एस.बसरा, कार्यपालन अभियंता (वि./यां) प्रभारी अधीक्षण अभियंता, वि./यां, भण्डल, जल संसाधन विभाग, रायपुर	अधीक्षण अभियंता, वि./यां, भण्डल, जल संसाधन विभाग, रायपुर

2/ प्रभाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है।

3/ जिन अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता का प्रभार सौंपा गया है, नियमित अधीक्षण अभियंता की पदस्थापना फलस्वरूप उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्वभाव सुवत्त माने जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्तांक/—

(आर.के.नारद)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

जल संसाधन विभाग

रायपुर, दिनांक 11-2-2015

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 01-03/31/स्था./2014,

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
 2. माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 3. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
 4. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर।
 5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहाबा भवन, रायपुर।
 6. संबंधित कलेक्टर/कोषालय अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)।
 7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर (छ.ग.)।
 8. संबंधित अधिकारी सर्वश्री एस.आर.सिरसाज एवं एन.एस.बसरा, कार्यपालन अभियंता (वि./यां) द्वारा—प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहाबा भवन, रायपुर।
 9. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाची हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग